


26.10.2023:—पत्रावली आज पेशी मे आई। वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा वादपत्र मे कोई कार्यवाही नही चाहते हुए। वादी वकील श्री दलीप बसेर द्वारा फर्द अहकाम पर अंकन किया की पार्टी मुकदमा आगे नही चलाना चाहते। वादी वकील ने **NO PRESS** अंकन किया। वादी वकील के **NO PRESS** करने पर वादपत्र वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमीत दाखिल दफतर हो।



सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

